संख्या– 885 / III(2)/08–13(प्रा0आ0)/07

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2

देहरादून, दिनांक 28 मार्च, 2007

विषयः– वित्तीय वर्ष 2007–08 में आयोजनेत्तर पक्ष में पुराने वाहनों के स्थान पर नये वाहन क्रय हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–1103/01 अधिप्राप्ति–उ0/06–07 दिनांक 23–08–07 एवं पत्र सं0–202/09 सा0प्रकीर्ण–उ0/07 दिनांक 18–02–08 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2007–08 में वाहनों के क्रय हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष पुरानी निष्प्रयोज्य वाहनों का निष्प्रयोज्यता की समस्त कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त 11 बोलेरों/LX-DI/2WD7STR PS.BH II वाहन क्रय किये जाने हेतु प्रोफोर्मा इनवाइस की लागत रु0 4,25,669.00 की दर से प्रति वाहन के अनुसार 11 वाहनों हेतु के अनुसार प्रति की दर से कुल **रु0 46,82,359 (रु0 छियालीस लाख बयासी हजार छः सौ उनसठ मात्र)** की धनराशि को व्यय हेतु निम्न शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

2– उक्त वाहनों का क्रय के संबंध में शासन द्वारा निर्धारित सुसंगत नियमों का पालन किया जायेगा तथा क्रय की कार्यवाही कर शासन को अवगत कराया जायेगा।

3– उक्त वाहनों का क्रय प्रोफोर्मा इनवाइस की लागत पर डी0जी0एस0 एण्ड डी0 की दरों पर किया जायेगा तथा फार्म डी निष्पादित कर व्यापार कर हेतु अनुमन्य छूट का उपयोग करके ही किया जायेगा। एक्सेसरीज हेतु कोई अतिरिक्त धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।

4– वाहनों का क्रय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक 31–03–2008 तक करके उक्त की सूचना शासन को उपलब्ध करा दी जायेगी। व्यय के पश्चात् यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे दिनांक 31–03–2008 तक शासन को समर्पित किया जायेगा।

5– उक्त धनराशि का आहरण कोषागार से तब ही किया जायेगा जब आहरण–वितरण अधिकारी द्वारा नीलामी की धनराशि कोषागार में जमा किये जाने का प्रमाण पत्र बिल के साथ प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

6– धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

7– क्रय किये जा रहे वाहनों को उन्हीं अधिकारियों द्वारा उपयोग में लाया जायेगा जिनके वाहन निष्प्रयोज्य घोषित किये गये है।

8– उसी प्रकार के वाहनों का प्रतिस्थापन किया जायेगा जैसा पुराना वाहन था जैसे जीप के स्थान पर जीप व कार के स्थान पर कार का क्रय किया जायेगा।

9– स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण से पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि उन वाहनों के निष्प्रयोज्यता की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है।

10— इस संबंध में होने वाले समस्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–22 के लेखाशीर्षक 2059–लोक निर्माण कार्य–80 सामान्य–आयोजनेत्तर–051 निर्माण 03–विकास/निर्माण कार्य के प्रखण्ड–00–14 कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाडियों का क्रय के नामे डाला जायेगा।

11— यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या– 383/XXVII(2) /2008 दिनांक 25 मार्च, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव

संख्या– 885 (1)/ III(2)/08–13(प्रा0आ0)/07,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1— मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2— महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
3— आयुक्त गढ़वाल/कुमायूं मंडल, पौडी/नैनीताल।
4— जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी, देहरादून।
5— मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायूं क्षेत्र,लो0नि0वि0,पौडी/ अल्मोडा।
6— अधीक्षण अभियन्ता, 11 वि./या. वृत्त लो0नि0वि0,देहरादून ।
7— वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
8— वरिष्ठ कोषाधिकारी,देहरादून।
9— निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर।
10— लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तराखण्ड शासन/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव